निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूलना

***428. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन, : †**
श्री कपिल सिब्बल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने औषधों के लिए उपभोक्ताओं से निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज किए जाने के कारण औषध कंपनियों से 50 प्रतिशत राशि तत्काल वसूलने के लिए सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक औषध निर्माता तथा उनके द्वारा उपभोक्ता से वसूली गई अधिक राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राशि में से 50 प्रतिशत राशि वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के सिप्रोफलोक्सासिन, डाक्सीसाइक्लिन, ग्लिपिजाइड, सालबूट्यमोल, थियोफाइलीन, नॉरफलोक्सासिन और क्लोक्सासिलिन को मूल्य नियंत्रण से मुक्त करने के फैसले के विरुद्ध अपीलों में 1 अगस्त, 2003 को अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए और कहते हुए कि "हम अपीलकर्ता और संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों को उच्च न्यायालय द्वारा नए निर्धारण होने तक अधिक वसूली गई राशि का 50 प्रतिशत वसूल करने की छूट देना उचित और न्यायसंगत मानते हैं। तदनुसार हम अधिक वसूली गई राशि का 50 प्रतिशत की वसूली के स्थगन का इस शर्त पर निदेश देते हैं कि बाकी 50 प्रतिशत का प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा देय राशि की सूचना के चार सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाये।" एक आदेश पारित किया।

अपीलों में प्रतिवादी कंपनियां मैसर्स सिपला लिमिटेड, मैसर्स यू.एस.वी. लिमिटेड, मैसर्स राज मेडिकल्स, मैसर्स रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, मैसर्स यूनिकेल लेबोरेटरीज लिमिटेड, मैसर्स ओकासा लिमिटेड, मैसर्स ओकासा फार्मा लिमिटेड आदि थे। अधिक वसूली गई राशि का निर्धारण औषध मूल्य नियंत्रण, आदेश, 1995 के तहत निर्धारित मूल्य पर बिक्री की मात्रा के आधार पर अर्जित किये जाने वाले निर्धारित नेशनल राजस्व को निर्धारित वास्तविक राजस्व से घटाकर किया जाता है।

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

Recovery of overcharged amount

†*428. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN' : ††
SHRI KAPIL SIBAL :

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Supreme Court has directed Government to recover immediately 50 per cent of amount from drug companies on account of overcharging from consumers for the drugs;

(b) if so, the details of such drug manufacturers and amount overcharged by each of them from consumers; and

(c) the action taken to recover 50 per cent of the said amount?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKH DEV SINGH DHINDSA) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Supreme Court in the appeals by the Government against the judgment of the Bombay High Court excluding Ciprofloxacin, Doxycycline, Glipizide, Salbutamol, Theophylline, Norfloxacin and Cloxacillin from price control, passed an order, on the 1st August, 2003, *inter-alia,* setting aside the judgment of the High Court and holding. "We also consider it just and proper to give liberty to the appellant and the concerned statutory authorities to recover 50% of the 'overcharged' amounts pending fresh determination by the High Court. Accordingly, we direct stay of recovery of 50% of the 'overcharged' amount subject to the payment of remaining 50% within the period of four weeks from the date of communication of the amount payable by each of the writ petitioners."

The respondent companies in the appeals were M/s Cipla Limited, M/s USV Ltd., M/s Raj Medicals, M/s Ranbaxy Laboratories Ltd., M/s Unichem Laboratories Ltd., M/s Okasa Ltd., M/s Okasa Pharma Ltd. etc. The overcharged amount is determined by deducting the assessed notional revenue that would have accrued on the basis of the volume of sales at the price fixed under the Drugs (Prices Control) Order, 1995 provisions from the assessed actual revenue earned.

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'': सभापति महोदय, दवा की 7 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कुछ दवाइयों की मनमानी कीमत वसूल कर रही थीं इसलिए कि वे दवाइयां Drug Price Control Act के अंतर्गत नहीं थीं। सरकार ने उनको Drug Price Control Act के अंतर्गत लिया और इसके खिलाफ एक कंपनी मुंबई हाई कोर्ट में गई। मुंबई हाई कोर्ट ने उस कंपनी के पक्ष में फैसला दिया। बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए उन दवा कंपनियों को यह निर्देश दिया कि जितनी राशि आपने अधिक ली है, उसका 50 प्रतिशत आप तत्काल जमा कर दें और 50 प्रतिशत राशि का भुगतान मुंबई हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद होगा। इसके लिए उन्होंने 4 सप्ताह का समय दिया। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों के अनुसार जनता से जो अधिक पैसा वसूला गया है, उसके लिए सरकार ने उन कंपनियों को नोटिस भी दे दिया है। क्या सरकार 4 सप्ताह के अंदर यह सुनिश्चित करेगी कि उन दवा कंपनियों ने जो पैसा अधिक वसूला है, उसको वे जमा कर दें? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और कंपनियों के बारे में क्या-क्या निर्देश सरकार को दिए हैं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, हमने इन्फॉरमेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री को सभी न्यूजपेपर्स में विज्ञापन देकर इससे अवगत कराने के लिए, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स की जो ऐसोसिएशंस हैं, उन सभी को इस जजमेंट के बारे में सूचित कर दिया है। अगस्त, 2001 तक हमारे पास इन 7 कंपनियों की फिगर्स हैं। हम 2 हफ्ते के भीतर उनको नोटिस भेज रहे हैं कि उनका कितना-कितना बकाया बनता है। दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर आते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, उनकी फिगर्स हमारे पास 15 सितंबर तक आ जाएंगी, 15 सितंबर के बाद उसका कैलकुलेशन करके सभी को हम नोटिस भेज देंगे। सर, स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वे ही कम्पनीज से दवाइयां लेते हैं तथा वही दवाइयां हॉस्पिटल में यूज होती हैं। लेकिन हमारा डी.पी.सी.ओ. कहता है कि अगर हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट में कोई शिकायत आती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। अगर आनरेबिल मेंबर के पास कोई ऐसी शिकायत है कि कोई कम्पनी ऐसी दवाई बनाती है और उसको पकड़ा जाता है तो हम उसको इसमें ले सकते हैं। लेकिन इसमें करना स्टेट को ही है और उन्हीं का यह दायरा है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, this is a very important question, which has got a direct bearing on the public health. The first aspect is with regard to prices. Sir, if you see the balance-sheets of these pharmaceutical companies, you will find that very periodically they issu bonus shares; and the dividends that are being declared are more th 40-50 per cent. Sir, that indicates the exorbitant profits they are earn

It being the endeavour of the Government to supply drugs to the people at cheaper prices, what mechanism has the Government got to supply the drugs at cheaper prices? You have thrown open the economy to market forces. They can do anything. As far as other goods are concerned, it is okay, but, as far as drugs are concerned, the Government should pay more attention to it. Secondly, what mechanism have you got to prevent the selling of spurious drugs, which are playing havoc with the society in this country.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, जहां तक पूरे ड्रग्स के कंट्रोल का संबंध है, उसको तो स्टेट कंट्रोलर ही करते हैं। लेकिन जहां तक इनकी ज्यादा कीमत का प्रश्न है, वह हम केलकुलेशन करते हैं कि उसकी कितनी कॉस्ट आती है। तो केलकुलेशन के बाद ही हम उनका रेट फिक्स करते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए अगर उसकी केलकुलेशन में कोई गलती आ जाए तो हम उसको दोबारा भी देख सकते हैं।

*429. [The questioners (Shri Sukhdev Singh Libra and Dr. Abrar Ahmed) were absent. For answer *vide* page 36—37 *infra*.]

अवैध विक्रेताओं हेतु योजना

*430. **श्रीमती सविता शारदा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अवैध ''विक्रेताओं'' द्वारा स्टेशनों तथा गाड़ियों में सामान बेचे जाने की ओर दिलाया गया है कि जिसके कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और चोरी आदि की घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन अवैध ''विक्रेताओं'' के विरुद्ध कोई योजना तैयार की है और इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, सरकार गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर अवैध बिक्री/फेरी लगाकर सामान बेचे जाने की समस्या से अवगत है।

(ख) और (ग) रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 144 के तहत अवैध बिक्री/फेरी लगाकर सामान बेचना एक अपराध है।